नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 04/2011 से 03/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक :–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री हेम राज वर्मा	01.04.2011 से 31.03.2013

कार्यकारी अधिकारीः–

1	श्री बी0आर0 नेगी	1.4.11 से 07.08.11 तक
2	श्री सूरज सिंह नेगी	08.8.11 से 10.9.12 तक
3	श्री राकेश कुमार	11.9.12 से 31.3.13 तक

(ख) नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2011 से 31.03. 2013 तक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	निवेशित राशियों पर ब्याज की गलत गणना के फलस्वरूप परिषद कोष में कम ब्याज जमा करना	4 (3)	1.44
2	प्रतिभूति के शेष राशि को परिषद के लेखा में न दर्शाना	5	10.70
3	गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि	7	83.36
4	गृहकर की दरों का नियमानुसार संशोधन न करने के कारण आर्थिक हानि	7 (1)	4.50
5	किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	25.38
6	व्यवसायिक परिसर बस स्टैण्ड की दुकानों की लीज मनी की वसूली न करना	8 (2)	12.52
7	पट्टे पर दी भूमि की पट्टा राशि की वसूली हेतु शेष	8 (3)	0.44
8	मोबाईल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	9	0.29
9	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक भुगतान	11	24.64
10	मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान	12	0.13
11	बिना जस्टीफिकेशन तैयार किये निर्माण कार्यो का आंबटन	13	72.59
12	सक्षम अधिकारी से टैस्ट चैक करवाये बिना निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान	14	58.74
13	निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतान	16	0.24
14	विभिन्न कर्मचारियों के वेतन से सरकार द्वारा संशोधित दरों पर लाईसैन्स फीस की कटौती न करना	17	0.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2013 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30.5.2013 से 24.7.13 तक किया गया। व्यय की विस्तृत जाँच के लिए मास अगस्त 2011 व मई, 2012 तथा आय की विस्तृत जाँच के लिए माह मार्च 2012 तथा मई 2012 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों मे समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर परिषद ठियोग के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2013 तक के अंकेक्षण शुल्क ₹21600/–बनता है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11, दिनांक 19.7.13 द्वारा इस राशि का भुगतान

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को शिमला में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था। प्रस्तुत वित्तीय स्थिति नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना व रोकड़ बही में दर्शाये गए आंकड़ों की जाँच पर आधारित है :–

वर्ष	आय का स्त्रोंत	आरम्भिक शेष	आय	कुल आय	व्यय	अन्तशेष
2011–12	अपने स्त्रोत से	10361209.32	2859570.20	13220779.32	3672446	9548333.52
	अनुदान से	5523078.39	6287329.39	11810407.98	9150042	2660365.98
	कुल आय	15884287.71	9146899.59	25031187.30	12822488	12208699.30
2012–13	अपने स्त्रोत से	9548333.52	5263427.00	14811760.52	6046823	8764937.52
	अनुदान से	2660365.98	6973403.00	9633768.78	5111732	4522036.78
	कुल आय	12208699.30	12236830.00	24445529.30	11158555	13286974.30
		रोकड़ वही अनुसार दिनांक 31.3.13 को अन्तिम शेष				13286974.30
		विभिन्न बैंकों में जमा राशियां (31.3.13)				13286974.30

4.1 अवधि 31.03.13 तक विभिन्न बैंकों में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाते का ब्यौरा	बैंक नाम एवं खाता संख्या	31.03.13 को राशि का ब्यौरा (₹) में
एम0सी0 फण्ड	एस0बी0 आई (112867217263)	705622.50
आई0डी0एस0एम0टी (IDSMT)	एस0बी0 आई (11286721627)	4957225.91
सरकारी अनुदान	एस0बी0 आई (11286721990)	2300700.89
एम0आई0एस0सी0 (MISC) अनुदान	स्टेट को0 ओपरेटिव बैंक (6246)	2033612.00
डियोटिस एक्स्ट्रा (Duties etc)	स्टेट को0 ओपरेटिव बैंक (7472)	219813.00
	सावधि योजना में राशियाँ	**3070000.00**
	कुल योग	**13286974.30**

4.2 सावधि निवेश :–

अवधि 31.03.13 तक सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0	बैंक का नाम	राशि	अवधि	ब्याज	परिपक्व राशि
1	30371303827	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठियोग	70000	29.10.11 से 29.10.14	9.25%	92096
2	31692219207	–यथोपरि–	2000000	11.2.13 से 11.5.13	7.5%	2029259
3	31078874139	–यथोपरि–	1000000	1.10.12 से 2.4.13	6.5%	1026358

निवेशित राशि को रजिस्टर फार्म जी–25 में तैयार न करने पर यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि लेखा में जमा प्रतिभूति राशि किस–2 व्यक्ति/फर्म से कितनी–2 जमा की गई और प्रतिभूति राशि किस व्यक्ति/फर्म की भुगतान हेतु शेष है तथा किस–2 व्यकित/फर्म की प्रतिभूति राशि को जब्त किया गया। अतः प्रतिभूति राशियों को अलग रोकड़ में रखना तथा इसे मूल रोकड़ वही में न लेना और प्रतिभूति रजिस्टर फार्म जी–25 में तैयार न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त रोकड़ वही को शीध्र बन्द करके उसमें वर्तमान तिथि तक पाई गई समस्त प्रतिभूति राशि को मूल रोकड़ वही में समाहित किया जाये व नियमानुसार प्रतिभूति रजिस्टर फार्म 25 में तैयार करके लेखा परीक्षा विभाग को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर ब्याज की गलत गणना के कारण ब्याज के रूप में ₹143806/– की हानिः–

नगर परिषद को सावधि योजना में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा ब्याज की गलत गणना के फलस्वरूप ₹143806/– ब्याज के रूप में परिषद खाते में कम जमा किए गये

जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न है। ब्याज की राशि कम जमा होने के फलस्वरूप नगर परिषद को वित्तीय हानि हुई यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः इस मामले को बैंक के साथ गम्भीरता से उठाकर ब्याज के रूप में प्राप्त कम राशि को वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 ₹10.70 लाख की प्रतिभूति के शेष को परिषद लेखा मे न दर्शानाः–

प्रतिभूति राशि का लेखा पृथक रोकड़ बही तैयार करके अलग से रखा जा रहा था। उक्त लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.13 को इस खाते में ₹1069646.74 शेष थी जिसका विवरण प्रतिवर्ष अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	886390.74	680124.00	1566514.74	447432	1119082.74
2012–2013	1119082.74	595340.00	1714422.74	644776	1069646.74

बैंकों में अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से था :–

खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक	अन्तशेष
4496	हिमाचल प्रदेश कोपरेटिव बैंक ठियोग शिमला	31.3.13	369646.74
एफ0डी0आर0 सं0 16/2011/4443010141	–यथोपरि–	31.3.13	270000
873/2011/44430307583	–यथोपरि–	31.3.13	230000
310/2012/44430307584	–यथोपरि–	31.3.13	200000
		कुल योग	**1069646.74**

इसके अतिरिक्त जॉच करने पर पाया गया कि परिषद में प्रतिभूति लेखा रजिस्टर फार्म जी–25 पर तैयार नहीं किया जा रहा। इस विषय में गत अंकेक्षण पैरा–5 में भी आपत्ति उठाई गई थी यह मामला परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक आगामी कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

6 अंकेक्षण अवधि 01.4.11 से 31.3.13 तक सरकार से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "घ" से "छ"** में दिया गया है।

नगर परिषद के पास दिनांक 31.3.13 को अनुदान की गई ₹4522036.78 व्यय हेतु शेष थी। अतः नगर परिषद ठियोग द्वारा अनुदान राशियों को निर्माण/मुरम्मत कार्यो पर समयवध व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जिसके फलस्वरूप स्थानीय लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर अप्रयुक्त अनुदान राशि को उसी उद्देश्य के लिए शीध्र अतिशीध्र खर्च करना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इन्हें प्राप्त किया गया है तथा अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में अवगत करवाया जाए।

6.1 सोल्डि वेस्ट मैनेजमैन्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ₹16 लाख को खर्च न करनाः–

Distt. Tourisum Department Office, Tourisum Department Shimla से दिनांक 31.3.13 तक ₹1600000/– Solid waste management fund के अन्तर्गत अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा अभी तक उक्त अनुदान राशि को व्यय न करके अपने खातों में जमा रखा गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त अनुदान राशि को खर्च न करने बारे औचित्य स्पष्ट करें तथा स्वीकृति पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान राशि को इसी उद्देश्य के लिये अविलम्ब व्यय किया जाये जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है।

6.2 3 rd SFC के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ₹4361983 में से अधिकतर अनुदान को स्टाफ वेतन तथा पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड में व्यय करनाः–

अनुदान राशियों के अभिलेखों के टैस्ट चैक करने पर पाया गया कि वर्ष 2011–12 में नगर परिषद ठियोग द्वारा 3rd finance Commission से अनुदान प्राप्त राशि ₹4361983/–में से ₹2396591/– का व्यय स्टाफ के वेतन आदि पर किया गया जोकि प्राप्त अनुदान का 55**%** बनता है जबकि नगर परिषद ठियोग को अपने स्त्रोतों से वर्ष 2011–12 में

₹2859570.20 प्राप्त हुये थे व 31.3.12 को ₹9548333.52 खाते में शेष थे। अतः अपने स्त्रोतों में अत्यधिक आय होते हुये वेतन पर उक्त राशि का व्यय अनुदान से करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और वेतन पर होने वाले व्यय को अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय से भुगतान करना सुनिश्चित किया ताकि अनुदान राशियों का उपयोग विकास कार्यो में किया जा सके।

6.3 3rd finance Commission में प्राप्त अनुदान राशि से ₹100000/– का भुगतान अनियमित रूप से पैन्शन एवं ग्रैच्युटी पर करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड में ₹100000/– का भुगतान अपने फण्ड से न करके 3rd finance Commission में प्राप्त अनुदान से किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट किया जाये और अनुदान से किये भुगतान ₹100000/– की भरपाई अपने फण्ड से करके अनुदान में जमा की जाये व अनुदान राशि को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार उसी उद्देश्य हेतु व्यय किए जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

7 ₹83.36 लाख गृह कर की बकाया राशि की वसूली न करनाः–'

नगर परिषद के गृहकर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दिनांक 31.3.2013 तक गृहकर ₹8335568/– की राशि वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिसका वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	पिछली बकाया राशि (₹) में	वर्ष से मांग ₹ में	कुल मांग ₹ में	वसूली/प्राप्ति ₹ में	शेष/बकाया ₹ में
2011–12	7268763	1094793	8363556	361235	8002361
2012–13	8002361	1156478	9158839	823271	8335568

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि नगर परिषद द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं की जा रही है तथा प्रतिवर्ष की गई गृह कर की वसूली मांग के बराबर नहीं हो पा रही है जिसके फलस्वरूप हर वर्ष बकाया गृहकर की राशि से निरन्तर बढ़ौतरी हो रही है। अतः नगर परिषद को परामर्श दिया जाता है कि गृहकर की वसूली

हेतु नियमानुसार ठोस पग उठाये जाये ताकि गृहकर की बकाया की वसूली शीध्र हो सके तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

7.1 गृहकर की दरों में नियमानुसार संशोधन न करने के फलस्वरूप ₹450255/– की वित्तीय हानिः–

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या यू0डी0–1 (सी)/10/07/98 दिनांक 17.11.03 के अनुसार State Finance Commission की Recommendation के अन्तर्गत गृहकर को निम्न विवरणानुसार वसूला जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष	दर
2002–03	8.5 प्रतिशत
2003–04	9.5 प्रतिशत
2004–05	10.5 प्रतिशत
2005–06	11.5 प्रतिशत
2006–07	12.5 प्रतिशत तथा अगले वर्षों में भी 12.5% के आधार से गृहकर की वसूली की जानी थी।

उक्त शीर्ष की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा 1997 से 10% की दर के आधार पर अभी तक गृहकर की वसूली की जा रही है तथा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 17.11.03 द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना न करने के फलस्वरूप नगर परिषद को गृहकर से प्राप्त आय के रूप में वर्ष 2011–12 से 2012–13 में ₹450255/– का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	गृहकर की जो मांग थी	प्रतिशत आधार	गृहकर की मांग जो निर्धारित करनी थी	प्रतिशतता दर	आय में हानि प्रति वर्ष
2011–12	1094793	10%	1313752	12%	218959
2012–13	1156478	10%	1387774	12%	231296
			कुल हानि		**450255**

अतः कार्यकारी अधिकारी निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना में दिए निर्देशों की अनुपालना करते हुए गृहकर की दरों के नियमानुसार संशोधन करने के उपरान्त गृहकर की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 14 दिनांक 14.6.13 द्वारा नगर परिषद को वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान नये भवनो ंको कितने बिजली के कनेक्शन एवं पानी के कनेक्शन के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी किये बारे ब्यौरा उपलब्ध करने हेतु आग्रह किया था परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक उक्त ब्यौरा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव से ये सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान परिषद क्षेत्र में कितने नये भवनों का निर्धारण किया व इससे कितने भवनों से कर की वसूली की गई। अतः विवरण को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट किया जाये। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान बने नये भवनो ंकी Assessment Value निर्धारणोपरान्त गृहकर का निर्धारण करें आवश्यक अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

8 किराये की बकाया राशि ₹2537530 लाख की वसूली न करना:—

नगर परिषद के दुकानों/स्टालों के किराये की दिनांक 31.03.13 तक ₹2537530 वसूली हेतु शेष थे। जिसका वर्षवार विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	पिछले वर्ष के अन्त में बकाया राशि ₹ में	वर्ष के दौरान मांग	योग ₹ में	प्राप्ति ₹ में	बकाया ₹ में
2011—12	2206047	1077607	3283654	758439	2525215
2012—13	2525215	1063606	3588821	1051291	2537530

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष किराये की बकाया राशि में बढ़ौतरी हो रही है। नगर परिषद की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा हैं। अतः कार्यकारी अधिकारी उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र यथाशीघ्र नियमानुसार दोषी किरायेदारों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही अमल में लायें ताकि बकाया किराये की वसूली शीघ्र हो सके।

8.1 हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लायर्ज निगम से ₹81847/— किराये की वसूली न करना:—

नगर परिषद ठियोग ने हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लार्यज निगम को प्रस्ताव संख्या 55/2010 दिनांक 29.4.10 को दो रूम सैट पत्र संख्या 5—44/एम0सी0/012/695 दिनांक 27.8.12 के अनुसार दिनांक 16.10.10 से मासिक किराया ₹2125/— दिया गया था अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेंट सिविल सप्लायर्ज निगम से दिनांक 16.10.10 से 31.3.13 तक ₹81847/— किराये की राशि वसूली करनी शेष है। किराये की राशि ₹81847/— वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह मामला हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लायर्ज निगम से गम्भीरता से उठाया जाए और किराये की बकाया राशि ₹81847/— की वसूली शीध्र करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

8.2 दुकानों की लीज मनी न वसूल करने के कारण ₹12.52 लाख की वित्तीय हानि तथा लीज डीड को पुनः से हस्ताक्षर/नवीनीकरण न करवानाः—

नगर परिषद ठियोग ने व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंण्ड की दुकानों को लीज पर दिया गया। दुकानों का आंबटन प्रथम वार जब लीज पर किया गया तो दुकानदारों को दुकाने आंबटन के समय लीज डीड तैयार की गई और में दुकानें प्रथमवार पांच साल की अवधि के लिए लीज पर आंबटन कर दी गई अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि पांच साल की अवधि समाप्त होने पर दुकानों की लीज डीड पुनः से तैयार की जानी थी और लीज मनी भी 10**%** बढ़ा कर ली जानी थी। नगर परिषद ने लीज मनी की बढ़ौतरी 10**%** कर दी परन्तु लीज डीड को पुनः से तैयार/नवीनीकरण नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। लीज डीड का पुनः से नवीनीकरण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और लीज डीड को दुकानदारों से पुनः अब नवीनीकरण/तैयार किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं की दुकानों को पट्टे पर देने तथा पट्टे की राशि को नियमानुसार दिये गये समय के भीतर नगर परिषद कोष में जमा न करने पर पट्टे को रद्द करने का प्रावधान था, जबकि नगर परिषद ने आज तक कुछ एक पट्टेधारियों जिसका विवरण निम्न प्रकार से है पट्टे की राशि की वसूली नहीं की और न ही नियमानुसार पट्टेधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई प्रतीत होती हैं। नियमानुसार कार्रवाई न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाएं।

क्र0सं0	**पट्टेधारी का नाम**	**अवधि**	**दुकान सं0**	**राशि ₹ में**
1	श्री गेन्दामल सुपुत्र श्री जगमोहन वार्ड नम्बर 2, प्रेमघाट ठियोग, जिला शिमला	27.12.10 से 26.12.12	1	111320
2	श्री रोहित शांकिया सुपुत्र श्री एन0डी0 शांकिया रहीघाट, वार्ड नं0 7 ठियोग जिला शिमला	27.12.10 से 26.12.12	2	108240
3	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री	27.12.10 से 26.12.12	3	149600

	बिहारीलाल नारकण्डा, तहसील कुमारसैन जिला शिमला			
4	श्री राकेश आहुजा सुपुत्र श्री एमएल आहुजा, रोहिनी इन्टरप्राईजिज संजौली शिमला	27.12.11 से 26.12.12	6	99895
5	श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री हकुम्मत राय, गांव एवं पोस्टआफिस टीवर तहसील व जिला गुरदासपुर	27.12.11 से 26.12.12	10	34320
6	श्री हरविन्दर सुपुत्र श्री सुचेतराम वार्ड नं0 7 छेईधाला ठियोग, जिला शिमला	27.12.11 से 26.12.12	13	20533
7	श्री संजय भारद्वाज सुपुत्र श्री केशवराम ग्राम जदौन पोस्ट आफिस केलवी तहसील ठियोग	27.12.10 से 26.12.12	14	117810
8	श्री अरविन्दर सुपुत्र श्री रमेश चन्द वार्ड नं0 4 शाली बाजार ठियोग	27.12.10 से 26.12.12	15	81400
9	श्री राजेन्द्र ठाकुर सुपुत्र श्री हेतराम ग्राम पर्टीनल पो0ऑ0 मावग तह0 ठियोग जिला शिमला	27.12.10 से 26.12.12	16	48280
10	श्री सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री दिलाराम ग्राम लेलूपुल सैंज तह0 ठियोग जिला शिमला	27.12.10 से 26.12.12	17	46640
11	श्री राजेश शर्मा सुपुत्र श्री माठुराम ग्राम जैस पो0आ0	27.12.10 से 26.12.12	18	46200
12	श्री योगराज सुपुत्र श्री दीपराम शर्मा ग्राम कुमनली पो0 आ0 केलवी तह0 ठियोग जिला शिमला	27.12.11 से 26.12.12	19	20020
13	श्री पप्पू भैया सुपुत्र श्री छेदूलाल,	27.12.11 से 26.12.12	21	47520

	रहीघाट ठियोग जिला शिमला			
14	श्री रामानन्द शर्मा सुपुत्र श्री हेतराम ग्राम भरियाना पो0आ0 एवं तहसील ठियोग जिला शिमला	27.12.11 से 26.12.12	22	30800
15	श्री राजकुमार सुपुत्र श्री सतीश कुमार प्रेमघाट, ठियोग जिला शिमला	27.12.11 से 26.12.12	25	35640
16	श्री मोहन डोगरा सुपुत्र श्री साधराम प्रेमघाट, ठियोग, जिला शिमला	27.12.11 से 26.12.12	27	45320
17	श्रीमती रेखा मोक्टा, पत्नी श्री सुरेन्द्र मोक्टा गीरि व्यू लॉज पो0ऑ0 तहसील कोटखाई, जिला शिमला	27.12.11 से 26.12.12	9	119200
18	श्री रविन्द्र सुपुत्र श्री रमेश गांव घनोट पो0ओ0 ठियोग जिला शिमला	3.5.11 से 2.5.12	1	66022
19	श्री राकेश सुपुत्र श्री गुरदास राम शालीबाजार ठियोग	3.5.11 से 2.5.12	2	6033
20	श्री दिनेश सुपुत्र श्री नारायण सिंह गांव बघारों पो0आ0 जैस, तह0 ठियोग जिला शिमला	3.5.11 से 2.5.12	26	17644
		कुल योग		**1252437**

8.3 दिनांक 31.3.13 तक पट्टे पर दी गई भूमि की पट्टा राशि ₹0.44 लाख की वसूली शेषः–

नगर परिषद ठियोग द्वारा पट्टेधारियों को काफी समय से पट्टे पर भूमि दे रखी है परन्तु निम्नलिखित पट्टेधारियों से ₹43964/– की राशि वसूली योग्य शेष थी व वर्ष दर वर्ष पट्टे की बकाया राशि में बढ़ौतरी हो रही है जबकि नियमानुसार न तो पट्टेधारियों से पट्टे का नवीनीकरण किया और न ही पट्टे की राशि जमा न करने पर पट्टे को रद्द किया गया। अतः पट्टेधारियों से पट्टे पर दी भूमि की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और जिन पट्टेधारियों से पट्टे की राशि की वसूली नहीं हो रही है उनसे पट्टे की राशि की वसूली शीध्र यथाशीध्र करने हेतु ठोस कार्यवाही की जाये अन्यथा पट्टेधारियों के पट्टे नियमानुसार रद्द करके नये सीटे से पट्टे पर दिये जाने बारे कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके। विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पट्टेधारी का नाम व पता	31.3.13 तक वसूली हेतु शेष राशि
1	श्री श्याम लाल, राशि राम प्रेमघाट, ठियोग	6120
2	श्री टी0आर0 चंदेल ठियोग	9408
3	श्री रविन्द्र कुमार सुपुत्र श्री आत्मा राम	1575
4	प्रधानाचार्य डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल ठियोग	14636
5	श्री राम चन्द होटल वाला ठियोग	244
6	श्री साधु राम दफादार ठियोग	285
7	श्री ताराचन्द सुपुत्र श्री हमीरचन्द शाली बाजार ठियोग	720
8	श्री हेतराम वर्मा, जनोगघाट	673
9	श्री केवल राम, जनोगघाट ठियोग	2640
10	श्री बह्मानन्द जनोगघाट ठियोग	7240
11	श्री हरचरण सिंह मलिक बस स्टैण्ड ठियोग	191
12	श्रीमती गोपी देवी, ठियोग	232
		43964

9 मोबाईल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क ₹0.29 लाख की वसूली न करनाः–

सरकार के आदेश संख्या डी0आई0टी0 (आई0टी0) 2005 (मैसलिनियस) 2310 दिनांक 28.8.06 के अन्तर्गत नगर परिषद सीमा के अन्दर जो भी मोबाईल कम्पनी अपना टावर लगाई थी उनसे इन्सटालेशन चार्जिज ₹10000/–प्रति टावर तथा वार्षिक नवीनीकरण फीस ₹5000/– प्रति टावर की दर से नगर परिषद को वसूली करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सीमा के अन्दर Airtel, Tata, Reliance तथा बोडाफोन communication कम्पनियों द्वारा अपने टावरों को स्थापित किया गया है। नियमानुसार सम्बन्धित कम्पनियों से installation charges तो वसूल कर लिये गये परन्तु प्रतिवर्ष नवीनीकरण चार्जिज के रूप में ₹28750/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

कम्पनी का नाम	जिस अवधि से टावर लगाया	अवधि		नवीनकरण फीस	वसूली	बकाया
भारती एयरटेल लि0	2006–07	2006–07 से 2012–13	7 वर्ष	5X5000=25000 2X6250=12500		
				37500	35000	2500
रिलायंस कि0	2010–11	2010–11 से 2012–13	3 वर्ष	5000X3=15000	10000	5000
वोडा फोन लि0	2009–10	2009–10 से 2012–13	4 वर्ष	5000X4=20000	15000	5000
टाटा इण्डीकॉम लि0	2007–08	2007–08 से 2012–13	6 वर्ष	5000X5=25000 6250X1= 6250/31250	15000	16250
		कुल वसूल योग्य राशि				**28750**

अतः नगर परिषद उक्त ₹28750/–की वसूली शीध्र सम्बन्धित कम्पनियों से करने के पश्चात नगर परिषद कोष में जमा करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 अंकेक्षण अवधि के दौरान वास्तविक बजट की राशि से ₹2.77 करोड़ की राशि कम व्यय करनाः–

नगर परिषद ठियोग द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹5.17 करोड़ के व्यय हेतु बजट में प्रावधान किया गया था लेकिन परिषद उक्त अवधि के दौरान केवल ₹2. 40 करोड़ का ही व्यय करने में समर्थ रही। इस प्रकार परिषद द्वारा क्षेत्र वासियों को बजट में निर्धारित मूल भूत सुविधाओं/योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान नहीं किया गया जोकि चिन्ताजनक विषय है। अतः परिषद बजट के अनुसार व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करें तथा भविष्य में बजट की पूरी राशि का नियमानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें ताकि नगर परिषद सीमा के अन्दर रह रहे लोगों को मूल भूत सुविधाओं का पूर्ण लाभ हो सके।

वर्ष	बजट (Prowision)	वास्तविक खर्च	प्रतिशतता
2011–12	27763868	12822488	46.18%
2012–13	23939800	11158555	46.66%
	51703668	**23981043**	

11 नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से ₹24.64 लाख का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 53 (1) (सी) में दिये प्रावधान अनुसार नगर परिषद कर्मचारियों के वेतन, भत्ते भविष्य निधि अंशदान तथा ग्रैचयुटी फण्ड में अंशदान तथा पैन्शन फण्ड में अंशदान पर व्यय कुल खर्च के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए यह प्रावधान एम0सी0 म्युनिसिपल सेवा एक्ट, 1994 में भी है। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2012–13 में स्थापना पर ₹2463569/– का अधिक व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	वार्षिक खर्च	स्थापना पर अपेक्षित व्यय	स्थापना पर किया कुल व्यय	1/3 से अधिक व्यय
2011–12	12822488	4274163	4911761	637598
2012–13	11158555	3719518	5545489	1825971
				2463569

उपरोक्त विवरण के अनुसार नगर परिषद ने अवधि 2011–12 से 2012–13 तक स्थापना पर ₹2463569/– का अधिक व्यय किया जिसे पूर्ण तथ्यों सहित नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके साथ–साथ सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश एफ0सी एक्ट 1994 में दिये प्रावधान के अन्तर्गत ही वेतन आदि पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 ₹0.13 लाख के मानदेय के रूप में अनियमित/अनुचित भुगतानः–

नगर परिषद निधि से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपे गए अतिरिक्त कार्यभार हेतु मानदेय के रूप में भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार इस प्रकार के सौंपे गए अतिरिक्त कार्यभार हेतु मानदेय के रूप में राशि का भुगतान देय नहीं था। अतः अनियमित रूप से किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹13173/– की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। अनियमित रूप से किए गए मानदेय के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	अवधि	दर	भुगतान मानदेय की राशि
1	श्री आत्मा राम पटवारी	1.4.11 से 31.3.10	100	2400
2	श्री महेश कंवर सहायक अभियन्ता	1.4.11 से 31.3.13	300	7200
3	श्री सुशील नेगी पशु चिकित्सक	1.4.11 से 22.2.13	150	3573
				13173

13 ₹7259300 का बिना दरों के जस्टीफिकेशन तैयार किये निर्माण/मुरम्मत कार्यो का आंबटन करनाः–

नगर परिषद के माह 8/11 तथा 5/12 के भुगतान के वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹7259300/– का निर्माण/मुरम्मत कार्यो का आंबटन संविदाकारों को बिना विभागीय जस्टीफिकेशन/बिना नेगोसेशन उपरान्त किया गया जबकि नियमानुसार निर्माण कार्यों को ठेके पर देने से पूर्व उस कार्य की जस्टीफिकेशन तैयार की जानी अपेक्षित होती है जबकि नगर परिषद से संविदाकरों को निर्माण कार्यो का आंबटन बिना जस्टीफिकेशन तैयार किये किया गया जो अनियमित है। विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (ज)** पर संलग्न है। अतः बिना जस्टीफिकेशन बनाये निर्माण कार्य का आंबटन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

14 ₹58.74 लाख बिना सक्षम अधिकारी के टैस्ट चैक के निर्माण कार्यो का भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका वर्कस नियम 2010 के उप नियम (4) के अनुसार निर्माण/मुरम्मत कार्यो के निष्पादन हेतु देय राशियों के अन्तर्गत नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता को तीन लाख तक के निर्माण/मुरम्मत कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां है। जिसके अनुसार नगर परिषद ठियोग से कनिष्ठ अभियन्ता से तीन लाख तक के निर्माण कार्यो के अनुमान पत्र तैयार करवाकर व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर शहर में विभिन्न–2 निर्माण/मुरम्मत कार्यो का निष्पादन ठेकेदारों/संविदाकरों से करवाया गया। अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि संविदाकारो ंको निर्माण/मुरम्मत कार्यो के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका में की गई मद प्रविष्टियो ंको बिना सक्षम अधिकारी के टैस्ट चैक करवाये सीधा ठेकेदारों को भुगतान किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्कस रूलस में दिये प्रावधानों की अवहेलना की गई। बिना टैस्ट चैक के निर्माण कार्यो में निष्पादित मदों की वास्तविकता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती तथा इसके साथ–2 में भी सुनिश्चित नहीं हो सकता कि निर्माण कार्य में जो सामग्री उपयोग की वे किस श्रेणी की थी तथा निष्पादित कार्य पीडब्लयूडी स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही किया गया या नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका वर्कस, नियम 2010 के नियम (4) में कनिष्ठ अभियन्ता को तीन

लाख के निर्माण/मुरम्मत कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं निष्पादन करवाने की शक्ति प्रदान हैं अतः बिना टैस्ट चैक के ठेकेदारों को निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में समस्त निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा टैस्ट चैक करवाकर किया जाये जिन निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान बिना टैस्ट चैक के ₹58.74 लाख का किया गया विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर संलग्न है।

15 **कार्य का नामः–** M/T of M.C. Road from subhash chowk to No H-22 Raighat W.No. 7 (R. D% to 0/705)

संविदाकार का नामः– श्री बंसत लाल शर्मा

अनुमानित राशिः– ₹592000

DNIT राशिः– ₹287330

माप पुस्तिका संख्याः– 57 पृष्ठ 12 से 14 तथा पृष्ठ 26 से 28

वाऊचर संख्या 218 माह 8/11 राशि ₹371517/–

नगर परिषद ने उक्त कार्य को करवाने के लिये टैण्डर आमन्त्रित किये तथा यह कार्य पहले श्री दीप राम हेटा संविदाकार को आंबटन पत्र संख्या THG/MC/2009-652-57 दिनांक 5.7.10 को 97**%** above ₹566000/– पर आंबटित किया गया तथा उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिये एक माह का समय निर्धारित किया गया जिसके अनुसार उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा दिनांक 20.7.10 (आंबटन पत्र की तिथि से 15 दिन के पश्चात) को शुरू करके 18.8.10 को पूर्ण करना था उक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि ठेकेदार ने उक्त कार्य दिये समय के अन्तर्गत शुरू नहीं किया तथा दिये समय के समापन के पश्चात दिनांक 14.9.10 को कार्य न करने की असमर्थता जाहिर कर दी नगर परिषद ने संविदाकार द्वारा दिये पत्र के आधार पर श्री दीप राम हेटा संविदाकार की धरोहर राशि ₹5750/– जब्त कर उक्त कार्य को करने हेतु दूसरे न्यूनतम दर वाले ठेकेदार श्री बसंत लाल शर्मा को ₹666168/– का आंबटन पत्र संख्या MCT/Makes/10-11-1172 दिनांक 5.10.2010 द्वारा आंबटन कर दिया। उक्त निर्माण कार्य के आंबटन में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः–

श्री दीप राम संविदाकार को उक्त कार्य के आंबटन के उपरान्त कार्य को दिये समय पर शुरू न करके और इस कार्य को पूर्ण न करने पर Agreement में दी clauses के

अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी जबकि नगर परिषद ने ठेकेदार को अनुबन्ध में दी शर्तों के अन्तर्गत न तो Clauses-2 के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी किया और न ही कोई जुर्माना लगाया गया जबकि आंबटन पत्र के आधार पर उक्त कार्य को करने के लिये एक माह का समय दिया गया तथा ठेकेदार के अपनी असमर्थता कार्य को समापन करने के उपरान्त थी। इस प्रकार ठेकेदार से अधिकतम जुर्माना 10**%** के आधार पर ₹56600/– लगाया जाना अपेक्षित था जिसका नगर परिषद को वित्तीय नुकसान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

अनुबन्ध में दी शर्तों के आधार पर यदि ठेकेदार दिये समय पर कार्य पूर्ण नही करता और कार्य को बीच में छोड़ कर चला जाता या असमर्थता जाहिर करता है तो उक्त कार्य को पुनः आंबटन करने पर जो अधिक राशि का वहन करना पड़ता है उसकी भरपाई भी पहले आंबटित कार्य के संविदाकार से की जानी अपेक्षित थी जबकि नगर परिषद ठियोग ने श्री बसंत लाल शर्मा संविदाकार को उक्त कार्य का आंबटन ₹666168/– पर किया जबकि यह कार्य पहले ₹566000/– का आंबटन किया गया था। इस प्रकार पुनः से उक्त कार्य को आंबटन करने पर नगर परिषद को ₹100168/– का अधिक वित्तीय भार सहन करना पड़ा जिसकी भरपाई अनुबन्ध में दी शर्तों के अनुसार पहले आंबटित ठेकेदार से की जानी अपेक्षित थी जोकि नगर परिषद द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार नगर परिषद को उक्त निर्माण कार्य में ₹100168/– का वित्तीय नुकसान वहन करना पड़ा। अतः संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध के शर्तों के आधार पर कार्यवाही न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

16 निर्माण कार्य में ₹23522/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः–Providing prewin carpet surfacing on M.C. road from N.H. Subzi Mandi to SBI Building via M.C. office and from sood niwas to civil Hospital (approach road) at theog Distt Shimla. (RD O/O to 0/540 andO/O to 0/60)

संविदाकार नामः– श्री सोहन सिंह खांची

अवार्ड राशिः– 644200/–

माप पुस्तिका संख्याः– 55 पृष्ठ 40 से 44 तथा पृष्ठ 54 से 57

अवधिः–1 माह

कार्य आरम्भ करने की तिथिः– 17.6.10

कार्य पूर्ण करने की तिथिः– 16.7.10

नगर परिषद ठियोग ने उक्त निर्माण कार्य श्री सोहन सिंह खांची संविदाकार को आंबटन पत्र संख्या THG/MC/2009-349 दिनांक 2.6.10 को टैंडर में दी दरों के उपर 229% पर आंबटन किया गया जिसका भुगतान भी इन्ही दरों पर ठेकेदार को किया गया। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमान पत्र की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित एक मद में HPSR, 1999 में दी दर से अधिक दर लगाई जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹23522.20 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

मद का विवरण	जितनी Quantity की	दर जिस पर भुगतान किया	दर जिस पर भुगतान देय था	अधिक दर	कुल अधिक राशि
2 cm cousolidated single course pre min carpet surfacing with 0.27 cm of stone chipping mixed with 14.60 Kg of binder 10Sq.mtr of road Surface	2375.28 sqmtr	415.90 Pur10sqmt	385.50 per 10sqmtr	30.10	7149.60
11 using paving bitumun				+229%above	16372.60
			कुल अधिक भुगतान		23522.20
				Says	₹23522

अतः नगर परिषद ने उक्त मद का भुगतान ठेकेदार को ₹415.90 per 10Sqmtr की दर से किया गया जबकि नियमानुसार (₹385.55 Per mtr) के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किये गए भुगतान ₹23522/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद कोष मे जमा करवानी सुनिश्चित की जाये।

17 कर्मचारियों को आंबटित रिहायशी मकानों की लाईसैन्स की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने पर ₹15152/– का अधिक भुगतानः–'

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य विभाग (General Administration Department) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-GAD-D-3(C) 14-3/07 दिनांक 2.9.10 के द्वारा सभी वर्गो के सरकारी आवासों की लाईसैन्स फीस को संशोधित कर दुगणा कर दिया तथा माह 10/10 से सभी कर्मचारियों के वेतन से दिये सरकारी आवासों की लाईसैन्स फीस की कटौती संशोधित दरो पर की जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ठियोग द्वारा कर्मचारियों के वेतन से लाईसैन्स फीस की वसूली संशोधित निर्धारित दरों पर नहीं की जा रही है अर्थात लाईसैन्स फीस के रूप में विभिन्न कर्मचारियों के वेतन बिलों से ₹15152/– की कम कटौती की गई जिसका विवरण **परिशिष्ट"फ"** में संलग्न है। जिस की वसूली अब सम्बन्धित कर्मचारियों से करके परिषद कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

18 वाहन संख्या एच0पी0–09–7637 की लॉग बुक में पाई गई अनियमितताओं के बारेः–

वाहन संख्या एच0पी0–09–7637 की लॉग बुक का टैस्ट चैक करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

1 वाहन की औसत कितने कि0मी0 प्रति लीटर है किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा लॉग बुक में प्रमाणित किया जाना नियमानुसार अनिवार्य है जिस के अभाव में डीजल/तेल की खपत सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। वाहन के औसत का निर्धारण/नियमानुसार किया जाए तथा अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाया जाए।

2 लॉग बुक में यह नहीं दर्शाया गया कि लॉग बुक कौन से वाहन की है। लॉग बुक पर वाहन का प्रकार व नम्बर आवश्यमय लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3 लॉग बुक के शुरू में पृष्ठ संख्या तथा वाहन के टैंक की कितनी तेल की capcity है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया अपेक्षित कार्रवाई अब सुनिश्चित की जाए।

4 नियमानुसार वाहन में तेल की खपत प्रतिदिन दर्शायी जानी अपेक्षित है लेकिन लॉग बुक में प्रतिदिन के हिसाब से तेल की खपत नहीं दर्शायी जा रही है यह अनियमितता है। माह के अन्त में दर्शाई गई तेल की खपत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त वाहन की लॉग बुक में दर्शाई गई तय दूरी तथा वाहन किस उद्देश्य के लिये किन अधिकारियों द्वारा उपयोग किया गया विस्तार से उल्लेख नहीं किया जाता न ही इसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। अपेक्षित कार्रवाई अब सुनिश्चित की जाए।

5 नियमानुसार सरकारी वाहन में तेल डलवाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से वाहन में तेल डलवाने से पूर्व Requistion प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन में तेल आवश्यकता के अनुसार डलवाया गया। बिना सक्षम अधिकारी से Requisition प्राप्त किये वाहन में तेल डलवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

6 वाहन की लॉग बुक का टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि माह 10.10.11 को 30 लीटर डीजल को बिना किसी टिप्पणी लॉग बुक में कम किया गया था इसी प्रकार 1.8.11 को snowline filling station, Theog से कैश मैमो संख्या 3 दिनांक 1.8.11 को 80 लीटर डीजल खरीदा गया है जिसकी प्रविश्टि लॉग बुक पृ0 से 26 पर दर्शाई गई है परन्तु दिनांक 1.8.11 को 80 लीटर डीजल में से 30 लीटर प्रकरण डीजल को बिना तथ्य के कम कर दियां यह संदिग्ध प्रतीत होता है। यह प्रकरण परिषद प्रशासन के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

19 सम्पत्ति रजिस्टर का नियमानुसार रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कोड 1975 की धारा 152 (1) में प्रावधान है कि हर स्थानीय निकायें को (Immovable and moreable profesty) चल एंच अचल सम्पत्ति का रजिस्टर को रखना अनिवार्य है तथा निकायें के पास जितनी भी चल एवं अचल सम्पत्ति है इसका इन्द्राज पूर्ण विवरण के साथ सम्पत्ति रजिस्टर में किया जाना अपेक्षित है सम्पत्ति का सत्यापन स्थानीय निकायों के संदस्यों या सदस्य Authorized by the Local Bodies एवं अधिकारी द्वारा तीन साल में एक वार करना होगा। नगर परिषद ठियोग द्वारा न तो नियमानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव किया है और न ही इसमें चल एवं अचल सम्पति की प्रविष्टि की गई। नगर परिषद द्वारा सप्लाई आदेश संख्या एस0सी0टी0/सप्लाई/11–12/178 दिनांक 27.5. 2011 के तहत ₹446976/– का निम्नलिखित सामान विभिन्न फर्मों से खरीदा गया।

वा0सं0/दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	ब्यौरा	सं0	दर	राशि
225/2.8.11	369/18.7.11	Dustbin size 6"x4"x5" made of 16 G.H.R. Sheet with 14 GHR sheet base framed with angle iron 40x40x5mm thick flat supports with one door front side complete with paints	12 No. (276.22 Kg)3314.14	73.50	243626
136 (i) (ii)/4.6.11	M/S Himalaya Engineering works, Dhaliasa Distt Shimla Bill No 367/3-6-11	Garden Steel Bench 6 Length	20 No.	5300 each	106000
–यथोपरि–	–यथोपरि–	Double wheel Barr No. Cap 4.5 Cft	6 No.	41150 each	24900
–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 366 दिनांक 27.5.11	Cast iron bench 6 Length	9 No.	8050 each	72450

उक्त सामान की सप्लाई से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः–

(1) उपरोक्त खरीदे गए सामान की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में न करके सामान्य स्टॉक रजिस्टर में की गई। अतः सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारे औचित्य स्पष्ट करें तथा नियमानुसार इनकी प्रविष्टियां सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण विवरण सहित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिश्चित करें।

(2) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत ₹100000/— से अधिक की खरीद पर टैंडर आमन्त्रित किये जाने का प्रावधान है जबकि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त वर्णित ₹446976/— की सामग्री की खरीद के लिए टैंडर के स्थान पर Quatations को अखवार में विज्ञापन देकर आमन्त्रित किया जोकि अनियमित है। अतः उक्त दर्शाई सामग्री की आपूर्ति नियमानुसार टैंडर पर न करके Quatations के आधार पर करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः उक्त दर्शाई सामग्री की आपूर्ति नियमानुसार टैंडर पर न करके कुटेशन के आधार पर करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(3) सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित/बिल भुगतान वाउचर पर सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि सामग्री की आपूर्ति फर्म द्वारा सप्लाई आदेशों में दर्शाई गई Specification एवं Design के मुताबिक ठीक पाई गई।

(4) नगर परिषद द्वारा उक्त वस्तुओं की खरीद खुले बाजार से बिना नियन्त्रक भण्डारण के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके की गई जबकि इस प्रकार वस्तुओं की खरीद सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा के आधार पर सरकारी उपक्रमों के माध्यम से खरीदी जाने अपेक्षित थे। अतः अनियमित तौर पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

20 बिजली के बदले/पुराने सामान का स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि शहर में बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनायें रखने के लिये समय—2 पर नगर परिषद द्वारा बिजली के सामान की खरीद की जाती है और इन बिजली के सामान की प्रविष्टि तदानुसार सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में की जा रही है परन्तु जब सामान को शहर में बिजली के मुरम्मत कार्य करने हेतु जारी किया गया जाता है। इसके एवज में बदले गए पुराने सामान से सम्बन्धित/नियमानुसार कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा 10.2.12 से 16.7.12 तक के दौरान 240 टयूब चौक तथा 25 नं0 एम0बी0एल0 चौक की खरीद की गई जिसे समय—2 पर स्टॉक से शहर में बिजली का रख रखाव सही ढ़ंग से जारी किये गये परन्तु इसके बदले जो खराब टयूब चौक तथा MVL चौक प्राप्त हुये जिनका कवाड़ मूल्य होता है। उससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने बदले गए सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है। अतः पुराने सामान प्राप्ति सम्बन्धित अभिलेख का रख

रखाव न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त बदले गए पुराने सामान का रख रखाव नियमानुसार करके अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी कर प्राप्त राशि को परिषद खाते में जमा करवाया जाए अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जाए।

(2) नगर परिषद ठियोग ने 5.12.12 को M/S United Traders, Shalli Bazar, Theog से बिल संख्या 12170 दिनांक 5.12.12 को निम्नलिखित बिजली के सामान की खरीद की गई।

बिल सं/दिनांक	**बिजली के सामान का ब्यौरा**	**मात्रा**
12170/5.12.12	Tube rode	16 No.
	Wire 6 mm	90 mtr.
	CFL Bulb 45 watt.	5 No.
	Tube Choke 40 watt.	25 No.
	Tube Strater 40 watt.	50 No.
	CFL Tube Lamp 18 watt.	50 No.
	CFL Choke 36 watt.	16 No.
	Capostor MVL 125 watt	30 No.
	CFL Bulb 85 watt.	4 No.
	Strater CFL 36 watt.	50 No.
	Fleribile wire 40/76	1 role
	Holder for MVL 125 Watt.	10 No.
	Tube Patti Electric Arch.	5 No.

स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने उक्त सामान लगभग पांच महीने बीत जाने के पश्चात भी आज तक प्रयोग नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सामान की खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः बिना उद्देश्य के सामान की खरीद करने बारे अपना औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में सामान की

खरीद आवश्यकता के आधार पर ही किया जाए ताकि इस प्रकार के अपव्यय पर रोक लगाई जा सके।

21 लघु आपत्ति विवरणिका :– लधु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

22 निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में अधिक सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाऐं।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(34)-फिन(एल0ए0)–खण्ड–I-8053-54 दिनांक, 11.12.2013 शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

पंजीकृत :– (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस कार्यालय को अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट " क "

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 के पैरा 1 (ग) में वर्णित गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 06/73 से 03/74

1	पैरा 23(ई)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/79 से 03/81

1	पैरा 10(ए)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/85

1	पैरा 16	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/94

1	पैरा 14	अनिर्णीत

(5) संयुक्त निदेशक, श्री बजीर चन्द शर्मा की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2004

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(1)	अनिर्णीत

5	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 19(3)	अनिर्णीत	
7	पैरा 20	अनिर्णीत	
8	पैरा 23	अनिर्णीत	
9	पैरा 25(4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 25(6)	अनिर्णीत	
11	पैरा 25(10)	अनिर्णीत	
12	पैरा 30(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 30(2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 30(3)	अनिर्णीत	
15	पैरा 30(4)	अनिर्णीत	
16	पैरा 30(5)	अनिर्णीत	
17	पैरा 30(6)	अनिर्णीत	
18	पैरा 30(7)	अनिर्णीत	
19	पैरा 30(8)	अनिर्णीत	
20	पैरा 31(2)	निर्णीत	(निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD (H) (A) (1)-2/94-3865 दिनांक 19.4.06 द्वारा दी स्वीकृति के आधार पर)
21	पैरा 32(1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 32(2)	अनिर्णीत	
23	पैरा 32(3)	अनिर्णीत	
24	पैरा 32(4)	अनिर्णीत	
25	पैरा 32(5)	अनिर्णीत	

26	पैरा 32(6)	अनिर्णीत
27	पैरा 32(7)	अनिर्णीत
28	पैरा 32(8)	अनिर्णीत
29	पैरा 32(9)	अनिर्णीत
30	पैरा 32(10)	अनिर्णीत
31	पैरा 32(11)	अनिर्णीत
32	पैरा 33	अनिर्णीत
33	पैरा 35(1)	अनिर्णीत
34	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
35	पैरा 36(3)	अनिर्णीत
36	पैरा 37(2)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/04 से 03/07

1	पैरा 2(6)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(2)(क)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(4)(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(7)(1)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(8)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(1)	अनिर्णीत

11	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(6)	अनिर्णीत
21	पैरा 7(7)	अनिर्णीत
22	पैरा 7(8)	अनिर्णीत
23	पैरा 7(9)	अनिर्णीत
24	पैरा 7(10)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(11)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(12)	अनिर्णीत
27	पैरा 7(13)	अनिर्णीत
28	पैरा 7(14)	अनिर्णीत
29	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
30	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/11

1	पैरा 2	निर्णीत	
2	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क राशि ₹29400/– बैंक ड्राफ्ट 683473 दिनांक 10.2.12 द्वारा जमा)
3	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाते हुये निर्णीत किया)
4	पैरा 4.1	निर्णीत	(उपरोक्त स्थिति के आधार पर)
5	पैरा 4.2	निर्णीत	(सावधि निवेश की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाते हुए)
6	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाते हुए)
7	पैरा 6 (1 से 3)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाते हुये)
8	पैरा 6 (4)	निर्णीत	
9	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6 (5) (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6 (5) (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6 (6)	अनिर्णीत	
13	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण रिपोर्ट में)
14	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण रिपोर्ट में)
17	पैरा 8 (1 से 3)	अनिर्णीत	
18	पैरा 9	अनिर्णीत	
19	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)

20	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत	
21	पैरा 10 (2)	अनिर्णीत	
22	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में)
23	पैरा 12	अनिर्णीत	
24	पैरा 13	अनिर्णीत	
25	पैरा 14	निर्णीत	(राशि ₹22404/– की वसूली वाऊचर संख्या 479 दिनांक 9.11.12 द्वारा कर ली गई तथा ₹674/– की वसूली रसीद संख्या 45/39 दिनांक 26.6.13)
26	पैरा 15	अनिर्णीत	
27	पैरा 16	अनिर्णीत	
28	पैरा 17	आंशिक निर्णीत	(राशि ₹284/– की वसूली श्री बलिन्दर सिंह लिपिक से रसीद संख्या 43/39 दिनांक 13.6.13 को वसूली कर ली)
29	पैरा 18	अनिर्णीत	
30	पैरा 19	अनिर्णीत	
31	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत	
32	पैरा 20	अनिर्णीत	
33	पैरा 21	अनिर्णीत	
34	पैरा 22	निर्णीत	(वसूली राशि ₹1190/– ठेकेदार से कर ली जिसका समापन रोकड़ वही पृष्ठ 7 दिनांक 1.7.13 में पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत किया)
35	पैरा 23	अनिर्णीत	
36	पैरा 24 (1 व 2)	अनिर्णीत	
37	पैरा 25	आंशिक निर्णीत	(श्री रोहित वर्मा संविदाकार से राशि ₹208 की वसूली की प्रविष्टि उपरान्त)

38	पैरा 26	अनिर्णीत
39	पैरा 27	अनिर्णीत
40	पैरा 28	अनिर्णीत
41	पैरा 29	अनिर्णीत
42	पैरा 30	अनिर्णीत
43	पैरा 31 (1 व 2)	अनिर्णीत
44	पैरा 32	निर्णीत
45	पैरा 33	निर्णीत